न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा

जिला–कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी– सागर चंद्राकर)

//निर्णय//

(आज दिनांक 24.08.2026 को घोषित)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 190/2023

सी.एन.आर.नं.–CGKB05–000199–2023

अपराध क्र.–69/2022

आबकारी वृत्त दर्री गेवरा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

शिकायतकर्ता	**छ.ग. राज्य**
राज्य की ओर से	श्री परमेश्वर सिंह ध्रुव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्ता	समीता झा पति अजीत झा, साकिन– प्रगति नगर गेट नं. 01, थाना दर्री, जिला कोरबा (छ.ग.)
अभियुक्ता की ओर से	श्री मनहरण साहू अधिवक्ता

SAGAR CHANDRAKAR

Digitally signed by SAGAR CHANDRAKAR

Case Number –190/2023
State Vs Samita Jha

घटना दिनांक	18.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट	18.09.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	23.01.2023
आरोप पत्र विरचित दिनांक	24.08.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	17.09.2024
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	24.08.2026
निर्णय की तिथि	24.08.2026
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो	निरंक

//अभियुक्ता का विवरण//

अभियुक्ता का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
समीता झा	18.09.22	18.09.22	धारा– 34(1)(क)(ख) छ.ग. आब.अधि. 1915	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

Case Number –190/2023
State Vs Samita Jha

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निर्णय का शीर्षक	1—3.
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3.	आरोप	4
4.	स्वीकृत तथ्य	4
5.	अभियोजन की कहानी	4—5
6.	अभियुक्ता कथन	5
7.	विचारणीय प्रश्न	5
8.	सकारण निष्कर्ष	6—12
9.	सजा	—
10.	निरोध की अवधि व सेटऑफ	13
11.	संपत्ति का व्ययन	13
12.	प्रतिकर का आदेश	—
13.	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	14
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट कारावास (अर्थदण्ड)	—
15.	निर्णय की प्रति	13

Case Number –190/2023
State Vs Samita Jha

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 24.08.2026 को घोषित)

01– अभियुक्ता **समीता झा** के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34(1)(क)(ख) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 18.09.2022 को समय 09.10 बजे थाना दर्री क्षेत्रांतर्गत प्रगति नगर के पास अपने कब्जे में एक सफेद रंग की जरीकेन में 02 लीटर एवं खरीदी की गई मदिरा 200 एमएएल कुल 2.200 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब व शराब बिक्री रकम 20/– रुपये को अवैध रुप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय करने हेतु रखकर विक्रय किया।

02– प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ भी नहीं है।

03– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 18.09.2022 को हमराह स्टाफ के साथ रोड गस्त के दौरान प्रगतिगनर दर्री डेम के पास में मुखबिर सूचना के आधार पर समक्ष गवाहन खरीदी पंचनामा तैयार कर क्रेता को 20/– रुपये दिया जिसके शराब लाकर समक्ष गवाहन उसकी तलाशी ली जाने पर उसके कब्जे से प्लास्टिक की शीशी में भरी करीब 200 एमएल तरल द्रव बरामद व जप्त कर मौके पर पंचनामा तैयार कर स्टाफ व गवाहो के साथ प्रगतिनगर दर्री निवासी सुमिता झा के रहवासी मकान पास को घेराबंदी कर उसके कब्जे से 02 लीटर हाथ भट्ठी

कच्ची महुआ शराब को समक्ष गवाह जप्त कर आरोपिया को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर वैधानिक कागजात मांगा गया जो आरोपिया द्वारा जप्त मदिरा के संबंध में किसी प्रकार की वैधानिक कागजात पप्रस्तुत नही किया जा सका तथा आरोपिया के विरुद्ध अपराध सदर का सबूत पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04– अभियुक्ता का परीक्षण द.प्र.स. की धारा 313 के तहत किये जाने पर उसने छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)(क)(ख) का अपराध किये जाने से इंकार किया तथा निर्दोष होना व्यक्त कर अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05– प्रकरण के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न विरचित किया गया–

1. क्या अभियुक्ता दिनांक 18.09.2022 को समय 09.10 बजे थाना दर्री क्षेत्रांतर्गत प्रगति नगर के पास अपने कब्जे में एक सफेद रंग की जरीकेन में 02 लीटर एवं खरीदी की गई मदिरा 200 एमएएल कुल 2.200 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब व

शराब बिक्री रकम 20/– रुपये को अवैध रुप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय करने हेतु रखकर विक्रय किया?

2. दोषसिद्धि/दोषमुक्ति ?

–:विवेचन एवं निष्कर्ष:–

06.1– अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में निम्न साक्षियों का परीक्षण करवाया–

अभियोजन साक्षियों का विवरण		
अभियोजन साक्षियों का नाम	**क्रमांक**	**साक्ष्य की प्रकृति**
तिलकेश कुमार	अ.सा.–01	जप्ती गवाह
प्रेमलाल यादव	अ.सा.–02	जप्ती गवाह
आबकारी उपनिरीक्षक अशोक अग्रवाल	अ.सा.–03	विवेचक

तथा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया:–

दस्तावेजों का विवरण	
धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस	**प्र.पी.–01**
मुखबिर सूचना पंचनामा	**प्र.पी.–02**
टेस्ट पर्चेस पंचनामा	**प्र.पी.–03**
तलाशी की सहमति पंचनामा	**प्र.पी.–04**
जामा तलाशी पंचनामा	**प्र.पी.–05**
तलाशी पंचनामा	**प्र.पी.–06**
जांच एवं जप्ती पंचनामा	**प्र.पी.–07**

सील पेपर	**प्र.पी.–08**
धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस	**प्र.पी.–09**
जप्ती पत्रक	**प्र.पी.–10**
गिरफ्तारी पत्रक	**प्र.पी.–11**
घटना स्थल का नजरी नक्शा	**प्र.पी.–12**
तिलेकश कुमार का पुलिस कथन	**प्र.पी.–13**
प्रेमलाल यादव का पुलिस कथन	**प्र.पी.–14**
थाना दर्री से मालखाना मे जप्तशुदा माल को सुरक्षित रखने बाबत शराब मय प्रतिवेदन	**प्र.पी.–15**
सहायक आयुक्त अधिकारी जिला कोरबा को अपराध के संबंध मं दी जानकारी	**प्र.पी.–16**

06.2– बचावपक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य तथा दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

//विचारणीय प्रश्न क्र. 01 व 02//

07– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा। इस संबंध में सर्वप्रथम यह अवधारित किया जाना है कि क्या जप्तशुदा हाथ भट्ठी शराब थी, इस संबंध में अभियोजन द्वारा आबकारी उपनिरीक्षक अशोक अग्रवाल **(अ.सा.–03)** का परीक्षण कराया गया, जिन्होनें मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपिया से 02 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त द्रव की जांच किये जाने पर द्रव्य का रंग देखने पर मटमैला

अल्पपारदर्शी तरल द्रव होना पाया, द्रव की गंध सूंघने पर महुआ शराब की विशेष गंध होना पाया, नीला लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर हल्का गुलाबी परिवर्तनहोना पाया, द्रव को थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर की सहायता से द्रव की तीव्रता की जांच करने पर 68.8 यू.पी. होना पाया। उपरोक्त परीक्षण से प्राप्त परिणाम तथा विभागीय अनुभव के आधार पर उक्त तरल पदार्थ को हाथ भट्ठी महुआ शराब सिद्ध होना पाया गया। उक्त के संबंध मे जांच एवं जप्ती पंचनामा **(प्र.पी.–07)** है ।

08– उपरोक्त दस्तावेज तथा साक्षी के उपरोक्त कथन का खंडन प्रति–परीक्षण में नहीं हुआ है एवं जप्तशुदा द्रव के जांच के संबंध में प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे उपरोक्त साक्ष्यों पर अविश्वास किया जा सकें। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि उक्त जप्त तरल पदार्थ हाथ भट्ठी महुआ शराब थी।

09– प्रकरण में अब यह देखना है कि उक्त जप्तशुदा शराब अभियुक्ता के एकमात्र आधिपत्य से जप्त किया गया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जप्ती के साक्षी तिलकेश कुमार **(अ.सा.–01)** एवं साक्षी प्रेमलाल यादव **(अ.सा.–02)** का कथन कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्ता को नही जानता पहचानना व्यक्त करते हुये कथन किया है कि घटना 04–05 साल पूर्व की है । घटना दिनांक को वह अपने

निजी काम से प्रगति नगर की ओर गया था जां पर आबकारी पुलिस वालों ने उनसे कुछ कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे तथा उनके समक्ष कोई जप्ती तथा पंचनामा की कार्यवाही नहीं हुयी तथा किसी प्रकार की कार्यवाही नही की है । धारा 160 जाफौ का नोटिस **(प्र.पी.–01)** मुखबिर सूचना पंचनामा **(प्र.पी.–02),** टेस्ट पर्चेस पंचनामा **(प्र.पी.–03),** तलाशी की सहमति **(प्र.पी.–04),** जामा तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–05),** तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–06),** जांच एवं जप्ती पंचनामा **(प्र.पी.–07),** सील पेपर पंचनामा **(प्र.पी.–08),** धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस **(प्र.पी.–09),** जप्ती पत्रक **(प्र.पी.–10),** गिरफ्तारी पत्रक **(प्र.पी.–11),** नजरी नक्शा **(प्र.पी.–12)** में तिलकेश कुमार तथा प्रेमलाल यादव ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । इन्ही साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में अपना पुलिस कथन क्रमशः **(प्र.पी.–13)** व **(प्र.पी.–14)** देने से इंकार किया है । अतः उक्त् स्वतंत्र साक्षीगण अपने परीक्षण में खण्डित रहे है ।

10– अभियोजन द्वारा ही विवेचक आबकारी उपनिरीक्षक अशोक अग्रवाल **(अ.सा.–03)** का परीक्षण कराया गया। जिसमें उक्त साक्षी के द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 18.09.2024 में आबकारी वृत्त दर्री गेवरा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थाप्ना के दौरान दिनांक 18.09.2022 को हमराह स्टॉप के साथ गश्त के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना के

आधार पर ग्राम प्रगतिनगर दर्री निवासी मिता झा द्वारा अपने पास मे महुआ शराब विक्रय कर रही है । उक्त सूचना पर के संबंध में मुखबिर सूचना पंचनामा **(प्र.पी.–02)** तैयार किया गया तथा गवाहो को कार्यवाही में उपस्थित होने को नोटिस धारा 160 जाफौ को नोटिस **(प्र.पी.–01)** देकर मौके पर उपस्थित मनीष रात्रे को 20 रुपये को नोट देकर समिता झा से शराब खरीदकर लाने के लिए बोला गया था तभी मनीष रात्रे ने 20/– रुपये में आरोपिया से 200 एमएल शराब खरीद कर लाया जिसके संबंध में टेस्ट परचेस पंचनामा **(प्र.पी.–03)** तैयार कर समिता झा जिसके पास एक दो लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक बोतल में भीरी 02 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब व एक शीशी में खरीदी की गई मदिरा 200 एमएल मदिरा खरीदी मे प्रयुक्त 20 का नोट क्रमांक 35 डी 778975 व भरा कुल मात्रा 2.200 लीटर महुआ शराब बरामद कर, तलाशी से पूर्व तलाशी सहमति पत्र **(प्र.पी.–4),** जामा तलाशी पूर्व पंचानामा **(प्र.पी.–05),** तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–06)** तैयार किया गया ।

11– इसी साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना स्थल पर तलाशी पश्चात प्राप्त द्रव्य का जांच एवं जप्ती पंचनामा **(प्र.पी.–07)** तैयार कर जप्त द्रव्य को गवाहो के समक्ष सीलबंद कर सील पेपर **(प्र.पी.–08)** तैयार कर आरोपिया को महुआ शराब रखने के संबंध में धारा 91 जाफौ को नोटिस **(प्र.पी.–09)** देकर महुआ

शराब के विर्क्री का परमिट नही लिखकर नोटिस **(प्र.पी.–09)** दिया गया तथा जप्ती पत्रक पंचनामा **(प्र.पी.–10),** आरोपिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक **(प्र.पी.–11) त**था मौके पर घटना स्थल का नजरी नक्शा **(प्र.पी.–12)** तैयार कर थाना कुसमुण्डा से मालखाना में जप्तशुदा माल को सुरक्षित रखने बाबत शराब मय प्रतिवेदन **(प्र.पी.–15)** थाना प्रथारी कुसमुण्डा को प्रेषित किया गया तथा सहायक आयुक्त अधिकारी जिला कोरबा को अपराधके संबंध में दी गयी जानकारी **(प्र.पी.–16)** तथा मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्ररकण में संलग्न कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रति–परीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझावों से इंकार किया है और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि की है।

12– प्रकरण के विवेचक आबकारी उपनिरीक्षक अशोक अग्रवाल **(अ.सा.–03)** ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने अभियुक्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही स्वतंत्र साक्षीगण तिलकेश कुमार **(अ.सा.–01)** व प्रेमलाल यादव **(अ.सा.–02)** के समक्ष किया है। प्रकरण में साक्षीगण तिलकेश कुमार **(अ.सा.–01)** व प्रेमलाल यादव **(अ.सा.–02)** ने विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षीगण और विवेचक के कथन में विरोधाभास दर्शित है। उक्त स्वतंत्र साक्षी के कथन से स्पष्ट दर्शित होता है कि स्वतंत्र साक्षी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे । ऐसे में

अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रकरण में जप्त हाथ भट्ठी महुआ शराब अभियुक्ता के एकमात्र आधिपत्य से जप्त किया गया है।

13– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किंचित मात्र भी संदेह का लाभ अभियुक्ता को दिया जाता है। तदनानुसार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्ता के विरूद्ध युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्ता समिता झा पति अजीत झा, दिनांक 18.09.2022 को समय 09.10 बजे थाना दर्री क्षेत्रांतर्गत प्रगति नगर के पास अपने कब्जे में एक सफेद रंग की जरीकेन में 02 लीटर एवं खरीदी की गई मदिरा 200 एमएएल कुल 2.200 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब व शराब बिक्री रकम 20/– रुपये को अवैध रुप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय करने हेतु रखकर विक्रय किया ।

14– अस्तु **अभियुक्ता समीता झा पति अजीत झा साकिन प्रगति नगर गेट नं. 01 थाना दर्री, जिला कोरबा छ.ग.** को धारा 34(1)(क)(ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

15– अभियुक्ता द्वारा 437क द.प्र.सं. धारा के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रभावी

रहेगा। अतः 437 क द.प्र.सं. धारा के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके के अतिरिक्त अन्य सभी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16– अभियुक्ता द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि निरंक है। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पृथक से तालिका निर्मित की गई है, जो निर्णय का भाग मानी जावेगी।

17– प्रकरण में जप्तशुदा एक सफेद रंग के जरीकेन में 02 लीटर एवं खरीदी की गई 200 एमएल कुल 2.200 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब को दं. प्र. सं. की धारा 452 के अनुपालन में अपील न होने की दशा में मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात उक्त शीशी व बॉटल तोड़कर नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावें। प्रकरण में जप्त 20/–रू. अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात शासन के पक्ष में राजसात किया जावे अन्यथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत कार्यवाही किया जावें।

18– निर्णय की नि:शुल्क प्रति अभियोजन को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।	**मेरे निदेशन पर टंकित।**
सही/–	**सही/–**
(सागर चंद्राकर)	**(सागर चंद्राकर)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
कटघोरा, जिला– कोरबा(छ.ग.)	**कटघोरा, जिला– कोरबा (छ.ग.)**

Case Number –190/2023
State Vs Samita Jha

धारा 428 द.प्र.स. के अन्तर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

क्र	अभियुक्ता का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरोध में बितायी गई कुल अवधि	परिणाम एवं समायोजित अवधि
1	2	3	4	5	6
1	समीता झा	निरंक	निरंक	—	—

स्थान– कटघोरा

सही/–
(सागर चंद्राकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटघोरा, जिला– कोरबा (छ.ग.)